



DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001

शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : <http://www.cgdteraipur.ac.in>

MCA Counseling- 2011

:: सत्र 2011-12 में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में Pre MCA-2011 के मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु ऑन लाइन काउंसिलिंग की सूचना ::

प्रदेश में स्थित विभिन्न इंजी. महाविद्यालयों में संचालित मास्टर आफ कम्प्युटर एप्लिकेशन (MCA) पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्य कोटा में सत्र 2011-12 में सी.जी.प्री. एम.सी.ए. -2011 की मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिये संस्थाओं/ब्रांचों का आबंटन ऑन लाइन काउंसिलिंग द्वारा निम्न समय सारिणी अनुसार संपादित होगा ।

ऑन लाईन काउंसिलिंग की समय सारिणी

क्रं.	विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
1	Website: www.mkcl.biz/cgmca2011 में ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करना एवं ऑप्शन फार्म भरना (Online Registration & Option Filling)	3 सितम्बर 2011 सुबह 11.00 बजे	9 सितम्बर 2011 अपराह्न 3.00 बजे
2	दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (Document Verification Centre) में दस्तावेजों का परीक्षण कराना	5 सितम्बर 2011	9 सितम्बर 2011 शाम 5:30 बजे
3	सीट आबंटन की सूची जारी करना (Provisional Allotment)	10 सितम्बर 2011	(समय अपराह्न 2.00 बजे)
4	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य	12 सितम्बर 2011	14 सितम्बर 2011
5	संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों की जानकारी वेबसाइट में अपलोड करना	15 सितम्बर 2011	(समय पुर्वान्ह 11.00 बजे)
6	द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन फार्म भरना	15 सितम्बर 2011	16 सितम्बर 2011
7	दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में दस्तावेजों का परीक्षण / चालान जमा करने हेतु उपस्थित होना	15 सितम्बर 2011	16 सितम्बर 2011
8	द्वितीय चरण का आबंटन (Allotment)	17 सितम्बर 2011	(समय पुर्वान्ह 11.00 बजे)
9	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य	17 सितम्बर 2011	20 सितम्बर 2011

नोट : ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करने एवं ऑप्शन भरने से पहले कृपया प्री.एम.सी.ए.-2011 की नियम पुस्तिका का ठीक से अध्ययन कर लें तथा विशेषकर पृष्ठ क्रं. 117 का बिन्दु 2.6.1 एवं पृष्ठ क्रं. 119 का 2.7.1 से यह भी सुनिश्चित कर लें कि आप प्रवेश हेतु पात्र हैं ।

2. **काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस** - सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 500/- (रु. पाँच सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है । यह राशि चालान के रूप में **भारतीय स्टेट बैंक** के देश भर में स्थित किसी भी शाखा में **"संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़"** के नाम से **संचालित खाता क्रमांक - 31077008342** में जमा करना है । फीस चालान के अतिरिक्त और किसी अन्य रूप में जैसे :- डी.डी., चेक, नगद के रूप में फीस स्वीकार्य नहीं है । ऑनलाइन काउंसिलिंग फार्म भरने से पूर्व रु. 500/- का चालान जमा कर लें । चालान निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें, चालान का प्रारूप प्रवेश नियम पुस्तिका के अंत में दिया गया है। चालान का प्रारूप वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in अथवा www.mkcl.biz/cgmca2011 से भी डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है। **चालान फार्म में Registration ID/Ref. No. के सामने प्री.एम.सी.ए.-2011 का रोल नंबर लिखें ।** इसकी तीन प्रति में से एक प्रति बैंक में जमा होगी, DTE की कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना है एवं **Candidate Copy** को अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है । एक बार जमा की गई काउंसिलिंग फीस किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है ।

3. ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :

1. (A) Online Registration : ऑन लाईन पंजीकरण (Online Registration) जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर, किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित एम.के.सी.एल. के सहायता केन्द्रों (Help Centres) में कराया जा सकता है। कम्प्यूटर सिस्टम में **Internet Explorer 6** अथवा उससे उच्च क्षमता वाले ब्राउजर का होना आवश्यक है। ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये। स्नातक की अंकसूची (प्राप्तांकों को भरने के लिये), प्री.एम.सी.ए.-2011 की अंकसूची (रोल नंबर डालने के लिये), बैंक चालान की प्रति (चालान संबंधी जानकारी भरने के लिये) एवं प्री.एम.सी.ए.- 2011 की नियम पुस्तिका (संस्था की प्राथमिकता कम देने के लिये)। अतः इन्हें देखने (सहायता) के लिये अपने साथ में लेकर जायें। संस्थाओं की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी रहेगी।

ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन के लिये आपको निम्न चरण (Steps) करने होंगे।

सबसे पहले उम्मीदवार www.mkcl.biz/cgmca2011 नामक वेबसाइट में जायें। इसके होम पेज पर कई जानकारियाँ दी गई हैं। जैसे :- समस्त संस्थाओं की सूची, पिछले वर्ष का कटऑफ रैंकिंग, संस्थाओं की फीस की जानकारी, बैंक चालान का प्रारूप, विभिन्न प्रारूपों की जानकारी, काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी, आदि। इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें।

- (i) इसके पश्चात् स्क्रीन के बायें तरफ के मेनु **[New Registration]** को क्लिक करें एवं दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। फिर **[Proceed]** बटन में क्लिक करें। दिये गये नियम एवं शर्तों (Terms & Conditions) को ध्यान से पढ़ें, यदि ये शर्तें आपको मान्य हैं तो **[Accept]** बटन पर क्लिक करें। **[Reject]** करने पर आप प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। यदि आपने त्रुटिवश **[Reject]** कर दिया है तो पुनः **[New Registration]** में जाकर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- (ii) अगले स्क्रीन पर आपके मूल निवास की जानकारी पूछी जायेगी, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो सेलेक्ट **Domicile Status** में **Chhattisgarh Domicile** रेडियो बटन में माउस प्वाइंटर के माध्यम से क्लिक करें। यदि आप अन्य राज्य के निवासी हैं तो सेलेक्ट **Domicile Status** में **Other State Domicile** रेडियो बटन में माउस प्वाइंटर के माध्यम से क्लिक करें। इसके पश्चात् अपना सी.जी. प्री.एम.सी.ए.- 2011 का रोल नंबर (**Roll No.**) तथा जन्मतिथि (**DOB**) एंटर करें। इसके बाद आपको **Password** डालने के लिये कहा जायेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी **Password** जिसे आप आसानी से याद रख सकें, यहाँ एंटर करें। पासवर्ड 06 digit का होना चाहिये एवं यह शब्दों या अंकों अथवा दोनों के मेल से बनाया जा सकता है। पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिये पुनः दोबारा भरे जाने के लिये कहा जायेगा। इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** करें। अगले स्क्रीन पर आपको अपना लॉगईन आई.डी. नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, चाहें तो प्रिंट ले लें। अपना लॉगईन आई.डी. एवं पासवर्ड याद रखें। यह बाद में भी काम आयेगा। इसे किसी अनधिकृत को न बतायें। इसके पश्चात् **Proceed to fill application form >>>** में क्लिक करें।
- (iii) एक पॉप अप विंडो खुलेगा जिसमें **Candidate** में क्लिक करें तथा **Login Id & Password** डालकर **Login** करें।
- (iv) अगले स्क्रीन पर बायें तरफ दिये **Fill Application Form Tab** में क्लिक करें।
- (v) इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगी उसमें आपके द्वारा प्री.एम.सी.ए. का फार्म भरते समय दी गई जानकारी के अनुसार आपकी व्यक्तिगत जानकारियाँ (Personal Details) दी हुई होंगी। इसके अतिरिक्त आपको कुछ अन्य चाही गई जानकारियाँ भरनी होंगी जैसे :- माता का नाम, मातृभाषा, धर्म, परिवार की आय, क्षेत्र, पता, राज्य, पिनकोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर आदि इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें।
- (vi) आपके प्री.एम.सी.ए.- 2011 के प्राप्तांक एवं रैंक प्रदर्शित होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है।
- (vii) शैक्षणिक योग्यता की जानकारी में निर्धारित स्थान पर स्नातक का नाम, रोल नंबर एवं विश्वविद्यालय का नाम तथा दिये गये विषयों के प्राप्तांक एवं कुल अंक भरें। इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें।
- (viii) फिर आपको 10+2 स्तर पर गणित विषय का प्राप्तांक पूछा जायेगा।
- (ix) चालान संबंधी जानकारी – भारतीय स्टेट बैंक के जिस ब्रांच में चालान जमा किया गया है उस ब्रांच का नाम एवं जमा करने की तिथि अंकित करें।

(B) विकल्प (Option) भरना –

अ. विकल्प भरने के लिये **Select Course** में जाये एवं एम.सी.ए. में क्लिक करें । जिन-जिन संस्थाओं में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है, उनके नाम नीचे प्रदर्शित हो जायेंगे । इनमें से जहाँ-जहाँ प्रवेश लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते हैं, उनके सामने के चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें । आप जितना चाहें उतनी संस्थाओं का नाम दे सकते हैं । **इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद** तब अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें

टीप:- यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है । किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नहीं भरा गया है । सलाह दी जाती है कि सहायता केन्द्रों में जाने से पहले अपना संस्था का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें । जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे ।

विकल्प का प्राथमिकता क्रम (Priority/Preference) देना :-

ब. आपके द्वारा चुने हुये संस्थाओं की सूची में से जिस संस्था में आप पहले प्रवेश लेना चाहते हैं उसको पहला क्रम (Choice) देने हेतु उसके सामने **[Set Preference]** में क्लिक करें । इसका क्रम **Preference No. 1** आ जायेगा । अब प्राथमिकता क्रम में दूसरे (Choice) का चयन करें । उसका क्रम – 2 आ जायेगा इसी प्रकार सभी बॉक्स को टिक करते जायें । सभी विकल्प के सामने क्रम प्रदर्शित होते जायेंगे । सभी विकल्प का क्रम पुनः जांच कर लें यदि आपको यह लगता है कि क्रम बदलना चाहिये या क्रम में कोई त्रुटि हो गई है तो इसे आप बदल सकते हैं । ऐसा करने के लिये **[Reset My Preference]** में क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे । अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का नवीन क्रम दे दें । जब आप आश्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें ।

टीप :- 1. आपको संस्था का आबंटन आपके प्री.एम.सी.ए.- 2011 के मेरिट के आधार पर होगा, परंतु यह हो सकता है जो प्राथमिकता क्रम आपने भरे हैं वे आपका मेरिट अन्य से कम होने के कारण आपको न मिले । अतः कृपया ऑप्शन का क्रम ऐसा भरें जिससे आपको संस्था आबंटन होने की संभावना हो । पिछले वर्ष 2010-11 का विभिन्न संस्थाओं के कट ऑफ मेरिट की जानकारी वेबसाईट में दी गई है इससे आप अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि आपके रैंक पर आपको कौन सी संस्था मिलने की संभावना है । यद्यपि इस वर्ष स्थिति भिन्न हो सकती है । यह भी ध्यान रखें कि चूंकि आबंटन कार्य पूरी तरह से साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन होता है । अतः यदि आपने विकल्पों का चयन तो किया है परंतु उनका क्रम नहीं दिया है तो उन विकल्पों का आबंटन नहीं होगा जिनका चयन तो आपने किया है परंतु क्रम नहीं दिया है । केवल उन्हीं विकल्पों में से आबंटन होगा, जिनका क्रम आपने दिया है ।

(स) इसके पश्चात् स्क्रीन पर **Application cum Option Form** प्रदर्शित होगा, इसमें आपका फोटो भी रहेगा । इसका प्रिंट ले लें, यदि फोटो न आया हो तो प्रिंट लेने के पश्चात् फोटो लगा लें । इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है क्योंकि इसी प्रिंट को लेकर आपको दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में जाना है । यदि प्रिंट लेने के पश्चात् आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव अभी भी किया जा सकता है । यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म का **Version No.** बदल जायेगा । **Version No. Application cum Option Form** के प्रथम पृष्ठ पर उपर बीच में दिया रहता है । निर्धारित अंतिम तिथि तक आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं । परंतु इसके पश्चात् विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी । जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम (**Version**) ही मान्य किया जायेगा । इसके पूर्व के विकल्प नहीं ।

विकल्प बदलने की प्रक्रिया –

यदि आप विकल्प बदलना चाहते हैं तो आप Home Page पर दायें तरफ दिये गये **Click here to Login** में जायें, स्क्रीन पर बायें तरफ के संबंधित टेब **Shortlist Your Option** अथवा **Set Your Preference** में जायें । यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों का केवल क्रम बदलना है तो **Set Your Preference** में जायें तथा यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों में कुछ नये विकल्प जोड़ने या घटाने हैं तो पहले **Shortlist Your Option** में जायें तत्पश्चात् **Set Your Preference** में जाकर पुनः उनका क्रम दें एवं पुनः उसका प्रिंट ले लें और इस **Application cum Option Form** जिसमें आपसे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एवं विकल्पों का क्रम रहेगा, को लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में जायें । अंतिम **Version** क्रमांक वाला विकल्प फार्म को लेकर आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे वही विकल्प मान्य होगा । **Application cum Option Form** की दो कॉपी कर लें एवं 01 कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में

जमा करें। साथ में अनिवार्य रूप से सभी मूल अंकसूची एवं उसकी फोटो कॉपी की एक सेट भी लेकर जायें।

टीप :-

- आप रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन फार्म कहीं से भी भर सकते हैं यदि किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई होती है तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अथवा MKCL के सहायता केन्द्रों (Help Centre) में जाकर मदद पाई जा सकती है। MKCL के सहायता केन्द्रों की सूची नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्रं. 123-124 एवं www.mkcl.biz/cgmca2011 में उपलब्ध है।
- एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र केवल अभ्यर्थी को फार्म भरने के लिये कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं वेबसाइट के पेजों का उपयोग कैसे किया जाये, इसके बारे में ही सलाह दे सकेंगे। विकल्प अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार भरना है। सहायता केन्द्रों का उपयोग करने पर अभ्यर्थी को रु. 10/- प्रोसेसिंग शुल्क एवं रु. 5/- प्रति पेज का प्रिंटिंग शुल्क देय होगा। कोई भी सहायता केन्द्र आपकी इच्छा के विरुद्ध विकल्प नहीं भर सकता, विकल्प अभ्यर्थी को ही भरना है।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है। दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है। ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा)।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा। एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है:-

क्रं.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	दूरभाष क्रमांक	क्रं.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	दूरभाष क्रमांक
1	शास.पॉलीटेकनिक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	07774-220609	7	शासकीय पॉलीटेकनिक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	07762-222737
2	शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी, बिलासपुर	07752-260289	8	शासकीय पॉलीटेकनिक, कोरबा, रूमगरा, बाल्को नगर, कोरबा	07759-215696
3	शास. इंजी. महा. जगदलपुर, धरमपुरा नं-2, जगदलपुर	07782-229436	9	संचालनालय तकनीकी शिक्षा, बायरन बाजार, रायपुर	0771-2421376
4	शासकीय पॉलीटेकनिक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	07722-237618	10	शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक राजनांदगाँव, तहसील कार्यालय, राजनांदगाँव	07744-226830
5	शासकीय पॉलीटेकनिक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	0788-2323548	11	शासकीय पॉलीटेकनिक, कांकेर पुराना कार्ट कांकेर	07868-222081
6	शासकीय पॉलीटेकनिक, बैकुण्ठपुर रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल (कोरिया)	07836-232070	12	शासकीय पॉलीटेकनिक, जशपुर एन.ई.एस पी.जी. कालेज केम्पस जशपुर	07763-220051

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लिये हैं। जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज – सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है। केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है। सभी प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी।

- कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन फार्म ऑप्शन फार्म की प्रति।
- 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र।
- 12वीं की अंकसूची
- स्नातक की अंक सूची
- प्री.एम.सी.ए.- 2011 की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)।

6. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक – 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाइंस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)।
7. अन्य राज्य कोटा के लिये अन्य राज्य का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र।
8. रु. 500/- काउंसिलिंग फीस जमा करने के साक्ष्य के रूप में बैंक चालान की DTE प्रति।
9. जिन अभ्यर्थियों के एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म में फोटो प्रिंट नहीं हुआ हो उन्हें 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है

छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज –

10. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा)। अन्य राज्य के SC/ST/OBC के प्रमाण पत्र धारी को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा।
11. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने संबंधी **जाति सत्यापन प्रमाण पत्र**। यदि जाति सत्यापन प्रमाण पत्र न बना हो तो इसके लिये 02 माह का समय दिया जायेगा। इसके पश्चात् भी प्रमाण पत्र जमा न करने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है
12. यदि अभ्यर्थी विकलांग (PH) है तो विकलांगता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र।

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (**category**) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर। यदि आपके पास जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे बनाने के लिये प्रवेश तिथि से लेकर 02 माह का समय दिया जायेगा। यदि आप 02 माह के भीतर भी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाये एवं यदि आपका आबंटन आरक्षित श्रेणी में हुआ है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी। उसी प्रकार यदि आपके पास विकलांग का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग (**class**) को **NIL** में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार आबंटन होगा।

उपरोक्त प्रमाण पत्रों को लेकर जब आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों द्वारा आपके मूल दस्तावेजों से आपके **Application cum Option Form** में दी गई जानकारी का मिलान किया जायेगा एवं यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिये कहा जायेगा। यदि आपकी किसी जानकारी जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, कटेगरी, क्लास, लिंग आदि में प्री.एम.सी.ए.फार्म भरते समय त्रुटि हो गई हो तो लिखित में आवेदन देकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सुधरवाया जा सकता है। जब सभी दस्तावेज सही पाये जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका **Application cum Option Form** को अंतिम रूप से सबमिट कर दिया जायेगा। सबमिट करने पर **Reciept cum Acknowledgement of Appliction Form** प्रदर्शित होगा। इसके बाद इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकेगा। **Reciept cum Acknowledgement of Appliction Form** की 02 प्रति प्रिंट की जायेगी एवं दोनों प्रतियों में छात्र के हस्ताक्षर लिये जायेंगे तथा परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं **DVC** की सील भी लगाई जायेगी। **DVC** द्वारा आपको **Reciept cum Acknowledgement of Appliction Form** की 01 प्रति दी जायेगी, जिसे आप सुरक्षित रखें। काउंसिलिंग स्थल से बाहर जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो फार्म आपको दी गई है वह **Reciept cum Acknowledgement of Appliction Form** फार्म ही है एवं उसमें **DVC** की सील लगी है।

निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में नहीं है इसीलिये इन दस्तावेजों को साथ में नहीं लाना है, परंतु इनकी आवश्यकता संस्थानों में प्रवेश लेते समय रहेगी। अतः संस्था में प्रवेश के समय साथ लेकर जायें।

1. SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
3. गेप प्रमाण पत्र
4. माइग्रेसन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य के बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये)

टीप :- यदि आपको किसी एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र अथवा दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है।

3. सीट आबंटन

- (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् एक निश्चित तिथि को सभी अभ्यर्थियों का संस्था आबंटन कर दिया जायेगा । अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये विकल्प का आबंटन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा दिये गये एप्लीकेशन कम ऑफ़िशन फार्म के प्रिंट आउट में दिये गये जानकारी के अनुसार उनके प्री.एम.सी.ए.के मेरिट के आधार तथा उस वर्ग/प्रवर्ग में वह सीट उसकी बारी आने तक उपलब्ध रहने के आधार पर होगा । आबंटन सूची इसी वेबसाइट www.mkcl.biz/cgmca2011 पर देखा जा सकता है, यदि आपने मोबाइल नंबर दिया हो तो SMS के द्वारा आपको सूचित किया जायेगा । SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी संचालनालय/एम.के.सी.एल. की नहीं रहेगी ।
- (ब) आप **check allotment details** में जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं । अस्थायी आबंटन पत्र इंटरनेट द्वारा कहीं से भी निकाला जा सकता है । इसकी 01 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें । इसे लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें ।

4. आबंटित संस्था में प्रवेश लेना –

आबंटित संस्था में दिये गये निर्धारित अवधि तक प्रवेश लेना अनिवार्य है । यदि इस अवधि में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो आपका आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । ध्यान रखें कि प्रवेश के समय आबंटित संस्था में भी आपके दस्तावेजों की जांच होगी । अतः संस्था में प्रवेश के लिये अस्थायी आबंटन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ संस्था में उपस्थित हों, संस्थाओं की फीस की जानकारी वेबसाइट के होम पेज पर दी गई है । यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र द्वारा गलत जानकारी देने के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण गलत प्रवेश/आबंटन हो गया है तो प्रवेश/आबंटन रद्द करने का अधिकार संचालनालय/संस्था को रहेगा ।

चूंकि प्रवेशित छात्रों की जानकारी संस्थाओं द्वारा ऑन लाईन रोजाना अपडेट की जायेगी । अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये अपने सामने ही वेबसाइट के इंस्टीट्यूट लॉग इन में अपना प्रवेश कन्फर्म करवा लें । बिना ऑनलाईन कन्फर्म किये छात्र का प्रवेश मान्य नहीं होगा एवं यह सीट रिक्त मानी जायेगी ।

5. प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट में अपलोड करना –

प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् समस्त संस्थाओं में कुछ अभ्यर्थियों के प्रवेश नहीं लेने के कारण एवं प्रथम चरण में आबंटन नहीं होने के कारण रिक्त सीटों की सूची निर्धारित तिथि को प्रदर्शित की जायेगी ।

6. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग –

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिये द्वितीय चरण में पुनः वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जो प्रथम चरण में थी ।

इसमें चार प्रकार के अभ्यर्थी हो सकते हैं :

- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् संस्था में प्रवेश ले चुके हैं – ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित संस्था बदलना चाहते हैं तो उन्हें भी इस चरण में रजिस्ट्रेशन करना होगा । **परंतु उनकी पूर्व आबंटित सीट स्वमेव निरस्त हो जायेगी एवं यह आवश्यक नहीं है कि उसे वह सीट पुनः मिले।** ऐसे अभ्यर्थी सोच समझकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। इन्हें पुनः रु. 500/- काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना अनिवार्य है । अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं Receipt Cum Acknowledgement प्राप्त करना अनिवार्य है ।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन प्राप्त किये थे परंतु संस्था में प्रवेश नहीं लिये – ऐसे अभ्यर्थी की पूर्व आबंटित सीट निरस्त मानी जायेगी एवं ये पुनः द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे । इन्हें पुनः रु. 500/- काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना अनिवार्य है अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं Receipt Cum Acknowledgement प्राप्त करना अनिवार्य है ।
- अ.ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परंतु आबंटन नहीं हुआ था – ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें पुनः रु. 500/- काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा । अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं Receipt Cum Acknowledgement प्राप्त करना अनिवार्य है ।

ब) यदि विकल्प नहीं बदलते हैं तो उन्हें रु. 500/- का चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे। अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

- iv) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे – ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिये इन्हें रु. 500/- काउंसिलिंग फीस का चालान जमा करना होगा। अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं Receipt Cum Acknowledgement प्राप्त करना अनिवार्य है।

टीप : अ.) जो छात्र प्रथम चरण में किसी संस्था में प्रवेश ले चुके हैं एवं द्वितीय चरण में उन्हें अन्य संस्था आबंटित होती है। ऐसे छात्रों से उनके द्वारा जमा की गई कुल फीस में से रु. 1000/- की कटौती संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष समस्त राशि संस्था द्वारा छात्र को वापस की जानी है। इसके अतिरिक्त और कोई कटौती नहीं की जानी है।

7. द्वितीय चरण का सीट आबंटन

द्वितीय चरण में विकल्प बदलने वाले अभ्यर्थियों, नये अभ्यर्थियों एवं प्रथम चरण में आबंटन से वंचित अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर रिक्त सीटों पर आबंटन सूची निर्धारित तिथि को जारी की जायेगी। जिसे वेबसाइट में अवलोकन किया जा सकता है।

8. आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य

द्वितीय चरण में आबंटित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में निर्धारित अवधि में प्रवेश लेना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में प्रवेश नहीं लेने पर आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा। जो अभ्यर्थी पूर्व में कही प्रवेश ले चुके थे, उन्हें तात्कालिक रूप से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेश लेने की अनुमति है। परंतु बाद में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

9. यह काउंसिलिंग कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित किया जा सकता है, जिसकी सूचना वेबसाइट में दी जावेगी इसलिए इसका नियमित अवलोकन करते रहें ताकि किसी तरह की प्रक्रिया में बदलाव अथवा अद्यतन जानकारी से अवगत रहें।
10. संस्थाओं के फीस के संबंध में नियम पुस्तिका के पृष्ठ क्र. 129 का अवलोकन कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
11. काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी <http://mkcl.biz/cgmca2011> में दी गई है। आवश्यक पूछताछ के लिये दूरभाष क्रमांक 0771-2421376, 0771-2430024 एवं मोबाइल नंबर 98274-72366 व 94255-10904 पर संपर्क किया जा सकता है।
12. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में संचालक, तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा।

संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़